



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.08.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ मे सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 3500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-212/2000 धारा 279, 304-ए भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामसूरत गुप्ता पुत्र राजनाथ गुप्ता निवासी रुस्तमपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-06.08.2024 को माननीय न्यायालय JM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामसूरत गुप्ता उपरोक्त को अंतर्गत धारा 279, 304-ए भा0द0वि0 मे जेल मे बितायी गयी अवधि (05 दिवस) व 3500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।